

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-3/85/2018/10-11/9/1422  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25/04/2022

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)  
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र  
केन्द्रीय पर्यावरण भवन, ई-5, लिंक रोड़ नं. 3  
रविशंकर नगर भोपाल-462016

विषय:-जिला मंडला के अंतर्गत गौर जलाशय योजना के निर्माण हेतु 20.22 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPC 013/2019-BHO दिनांक 30.08.2021

—0—

विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा जारी की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का शर्तवार पालन प्रतिवेदन आवेदक विभाग से प्राप्त किया जाकर निम्नानुसार प्रेषित है :-

शर्त	शर्त का विवरण	शर्त का पालन
<b>A:</b>	<b>Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.</b>	
1	The cost of compensatory afforestation on the CA land (40.44 ha Revenue Forest land) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	न्यायालय कलेक्टर, जिला कटनी के आदेश पत्र दिनांक 12.04.2018 से ग्राम सलैया कलां, की भूमि खसरा नं. 5, रकबा 19.00 हेक्टेयर (मद छोटे झाड़ का जंगल) एवं खसरा नं. 20 रकबा 21.44 हेक्टेयर (मद बड़े झाड़ का जंगल) कुल 40.44 हे० शासकीय भूमि आवंटित की गई है। आवेदक विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु राशि रुपये 1,41,66,227/- ई-पोर्टल के माध्यम से एड हॉक कैम्पा में जमा की गई है।
2	Revenue Forest land (Chhote Jhad ka Jungle) Land shall be transferred and mutated in favour of State Forest Department and documents shall be submitted.	आवेदक विभाग द्वारा गौर वनभूमि वन विभाग के नाम हस्तांतरित कर दी गई है। फार्म पी-II की प्रति संलग्न है।
3	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 20.22 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995	आवेदक विभाग द्वारा नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि रुपये 1,26,57,720/- एवं दाण्डिक एन.पी.वी. की राशि रुपये 6,25,626/- एड हॉक कैम्पा में ई-पोर्टल के माध्यम से जमा कराई गई है।


	and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5- 1/ 1998-FC (Pt.11) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	
4	The State Forest Department shall comply with the penal provisions listed at Para 1.21 (ii) b, c and d report to the IRO Bhopal for issue of Stage -II approval.	सहमत है।
5	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited in CAMPA fund only through ( <a href="http://parvesh.nic.in">http://parvesh.nic.in</a> )	आवेदक विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण एवं नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि एड-हॉक कैम्पा में ई-पोर्टल के माध्यम से जमा की गई है।
6	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	जिला कलेक्टर मण्डला द्वारा जारी 20. 22 हे० वनभूमि का FRA प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है।
7	The KML file of diverted area and CA area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II approval.	e-Green watch पोर्टल का आई.डी. क्रमांक 47192 है। त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।
8	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1: 21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	आवेदक विभाग सहमत है।
9	The compliance report shall be uploaded on e- portal ( <a href="http://parivesh.nic.in">http://parivesh.nic.in</a> ).	आवेदक विभाग द्वारा शर्तों का पालन प्रतिवेदन आनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया है।
<b>B:</b>	<b>Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:</b>	
1	Legal Status of the forest land shall remain unchanged.	आवेदक विभाग सहमत है।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 40.44 Revenue forest land (19.00 ha., Khasra No. 5, Village - Saliyakalan, Tehsil - Bahoriband & 21.44 ha. Khasra No. 20 Village - Saliyakalan, Tehsil - Bahoriband District- Katni) of Madhya Pradesh at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non- native species should be avoided.	इस प्राप्त गैर वनभूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना में वृक्षों की स्थानीय प्रजातियों का रोपण किया जावेगा।



3	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency the User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र संलग्न है।
4	User agency shall restrict the felling of trees to 3408 numbers/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	सहमत है।
5	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	सहमत है।
6	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	आवेदक विभाग सहमत है।
7	No labour camp shall be established on the forest land.	आवेदक विभाग सहमत है।
8	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	आवेदक विभाग सहमत है।
9	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.	आवेदक विभाग सहमत है।
10	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	आवेदक विभाग सहमत है।
11	The State Government and User Agency shall comply the provisions of the all Acts, Rules, Regulation, guidelines, NGT order & Hon'ble court order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	आवेदक विभाग सहमत है।
12	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Central Government.	आवेदक विभाग सहमत है।

13	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	आवेदक विभाग सहमत है।
----	--	----------------------

अतः आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है, कि प्रकरण में भारत सरकार से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।  
संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

  
(सुनील अग्रवाल)


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-3/85/2018/10-11/9/1423  
प्रतिलिपि:—

भोपाल, दिनांक 25/04/2022

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) जबलपुर वृत्त जबलपुर, मध्यप्रदेश।
2. वनमंडलाधिकारी, (सा0) वनमण्डल पश्चिम मण्डला, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मण्डला, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

गौर जलाशय योजना के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्र. 6-एमपीबीओ 013/2019-बीएचओ/ दिनांक 30.08.2021

### अध्यारोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन

स.क्र.	अध्यारोपित शर्तों का विवरण	आवेदक संस्थान का पालन प्रतिवेदन
<b>A</b>	<b>Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department</b>	
1	The cost of Compensatory afforestation on the CA land (40.44 ha Revenue Forest land) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	आवेदक संस्थान को मान्य है।
2	Revenue forest(Chhote Jhand ka Jungle) land shall be transferred and mutated in favour of State Forest department and documents shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा खसरा क्र. 5 एवं 20 कुल रकबा 40.44 हे. नामांतरित।
3	The State Government shall charge the Net Present Value (NVP) for the 20.22 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India 30/10/2002. 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (pt.II) dated 18/09/2003, as well letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	आवेदक संस्थान द्वारा मांग किये गये नेट प्रोजेक्ट वैल की राशि 12657720/- एवं दाण्डिक एन.पी.व्ही. की राशि 625626/- एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण वनीकरण की राशि 14166227/- तथा कुल राशि 27449573/- एडवाईज नं. 230516485/29.11.2021 द्वारा यूनियन बैंक लोधी काम्पलेक्स नई दिल्ली 110003 में लेफ्ट/आरटीजी एस द्वारा राशि जमा करा दी गई है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	The State Forest Department shall comply with the penal provision listed at Para 1.21 (ii) b, c and d and report to the IRO Bhopal for issue of Stage-II approval.	-
5	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https:// parivesh.nic.in/</a> )	उत्तर 03 लागू है।
6	The complete compliance of the FRA,2006 shall be ensured by of prescribed certificate from the concerned District Collector.	आवेदक संस्थान द्वारा अभिलेख प्रस्तुत कर दिया गया है।
7	The KML files of diverted area and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal withall requisite details prior to Stage-II approval.	आवेदक संस्थान द्वारा अभिलेख अपलोड कर दिया गया है।
8	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019	आवेदक संस्थान द्वारा दाण्डिक राशि जमा करा दी गई है।
9	The compliance report report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https:// parivesh.nic.in/">https:// parivesh.nic.in/</a> )	आवेदक संस्थान द्वारा किया जा चुका है।
<b>B.</b>	<b>Conditions which need to be strcitly complied on field after handing over of forest land by the User Agency by the State tate Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval</b>	
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	व्यपवर्तित वन भूमि का वैधानिक स्थल परिवर्तित नहीं किया जावेगा वचन पत्र संलग्न है।



स.क्र.	अधिशोपलत शर्तों का वलवरण	आवेदक संस्थान का पालन प्रतिवेदन
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 40.44 ha Revenue forest land (19.00 ha, khasra No.5 Village-Saliyakalan, Tehsil- Bahoriband & 21.44 h, Khasra No. 20, Village - Saliyakalan, Tehsil- Bahoriband, District Katni) of Madhya Pradesh at the cost of the user agency, As per as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially	आवेदक संस्थान को मान्य है।
3	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the user Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	भविष्य में मांग की गई अतिरिक्त राशि आवेदक संस्थान द्वारा जमा करा दी जावेगी। वचन पत्र संलग्न है।
4	User Agency shall restrict the felling of trees to 3408 numbers / minimum under in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department	आवेदक संस्थान द्वारा अभिलेख प्रस्तुत कर दिया गया है।
5	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Division Forest Officer .	आवेदक संस्थान के द्वारा व्यपवर्तित वन भूमि की सीमा, क्षेत्र आदि का सीमांकन चार फिट ऊंचे पिलर से किया जावेगा। एवं शर्त अनुसार कार्य किया जाये।
6	The layout plan of he proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.	परियोजना के ले-आउट में केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है।
7	No labour camp shall be established on the forest land	आवेदक संस्थान सहमत है।
8	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as avoid any damage and pressure on the forest areas.	आवेदक संस्थान सहमत है।
9	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of project life.	आवेदक संस्थान को मान्य है।
10	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	योजना में विनिर्दिष्ट कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु वन भूमि का उपयोग नहीं किया जावेगा। वचन पत्र संलग्न है।
11	The State Government and user agency shall comply the provisions of the all acts., Rules, Regulation, guidelines, NGT order & Hon'ble Court Order (s) pertaining to this project , if any for the time being in force, as applicable to the project.	शर्तों का वास्तविक पालन प्रतिवेदन भारत सरकार एवं राज्य सरकार को नियमित रूप से यथा समय प्रस्तुत किया जावेगा। वचन पत्र संलग्न है।
12	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Central Government.	व्यपवर्तित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य संस्था/विभाग या व्यक्ति को केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना स्थानांतरित नहीं की जावेगी। वचन पत्र संलग्न है।
13	Any other condition that the Ministry of Environment Forests & Climate may stipulate from time to time in the interest of conservations, protection and development of forest & wildlife.	परियोजना में कोई भी अन्य शर्त जो केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के संरक्षण एवं विकास हेतु समय समय पर अधिशोपित की जाती है, उसका पालन किया जावेगा। वचन पत्र संलग्न है।

(वर्नेजय कुमार कुशराम)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन सभाग

मण्डला (म.प्र.)



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख  
खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



CLR No. : 11014942802

ग्राम: सलैया कला			पटवारी हल्का: पटी ८ कला			तहसील: बहोरीबंद			जिला: कटनी		वर्ष: 2021-2022
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक/ब्लॉक संख्याक)	भू-खण्ड संख्याक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निश्चय किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौलिक कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विहंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिकोण 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100717 2595	5 (S)		19.0000 हेक्टेयर वृक्षकुंज 19	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						वृक्षकुंज 19.0000 न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0047/अ-19(1)/2017-18, आदेश दि. 12/04/2018 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।





मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख  
खसरा  
प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)  
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11014941882

ग्राम: सरैया कला			पटवारी हलका: पटो कला		तहसील: बहोरीबन्द				जिला: कटनी		वर्ष: 2021-2022
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/ब्लॉक/संख्याक)	भू-खण्ड संख्याक (ब्लॉक की दशा में)	1. बैजफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निश्चय किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विहंगम तथा प्रभाव 1. बंधक 2. दृष्टिबधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना /कृषि 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1526510057	20/1/2 (S)		21.4400 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						बटवारा प्रकरण क्रमांक 15/A-19/2019-2020 आ.दि. 04/09/2019 के अनुसार कलेक्टर कटनी द्वारा स्वीकार किया गया है। न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0047/अ-19(1)/2017-18, आदेश दि. 12/04/2018 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।





Annexure-II

FORM-II  
(For Project other than linear projects)  
Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector  
Mandla (M.P.)

No. 5241

Mandla, Dated: 16/07/2018

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's Letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes.

It is certified that **20.22 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Water Resources Division, Mandla (M.P.) for construction of **GOUR MINOR IRRIGATION TANK FOR IRRIGATION IN MANDLA DISTRICT** falls within jurisdiction of **KARONDI VILLAGE** in **NIWAS TEHSIL**.

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 20.22 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s) are enclosed as **Annexure 1 to 3**.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who eligible under FRA.


 16/07

contd..... 2

// 2 //

- (c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all information/process under the FRA have been carried out, and that have given their consent to the proposal diversion and the compensation ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Nagar Parishad Niwas of Karondi Village, Gram Sabha of Pipariya and Gram Sabha of Mohpani, Luhari Village is enclosed as Annexure 1 to 3.
- (d) The discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) The diversion of forest land of facilities managed by the Government as required under Section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (f) The rights of primitive Tribal Groups and pre Agricultures, where applicable have been specifically safeguarded as per Section 3(1) of the FRA.

Encl : As above



16/07/18  
(Sufiyah Faruqui Wali)  
(गुफिया फारुकी वली)  
Collector  
आइ. ए. एस.  
Distt. Mandla (M.P.)  
करियर (C.S.)

Signature (Full name and Official seal of the District Collector)



आज दिनांक 08/04/2022 को सलैया में भूमि हस्तांतरित  
 विषयक एवं कब्जा दिलवाने हेतु मौके पर सम्मिलित रूप से  
 जल संसाधन विभाग के कर्मचारी एवं राजस्व विभाग के कर्मचारी  
 एवं वन विभाग के कर्मचारी द्वारा गैर वनभूमि ग्राम सलैया पंचायत  
 प.ह.नं. 12 खसरा नं. 5 रकबा 19.00 हेक्टेयर मय छोटे झाड़ जंगल  
 मय ग्रामकीय एवं ख. नं. 20 रकबा 21.44 हेक्टेयर मय छोटे झाड़ का  
 जंगल मय ग्रामकीय का निरीक्षण कर गैर जलाशय योजना में  
 प्रभावित भूमि के बदले में वन विभाग की कबजत में भूखंड आदेशानुसार  
 दिनांक 13.04.2018 के अनुसार भूमि वालिकी हेतु हस्तांतरित किया  
 गया है। जिसका नामांतरण भी वन विभाग को हो चुका है। उक्त भूमि  
 में किसी का कोई अधिकार नहीं है। अतः पूर्ण निर्विवाद है। आज  
 दिनांक 08/04/2022 को उक्त भूमि राजस्व विभाग से वन विभाग को  
 सौंपी जाती है। उक्त भूमि का जी.पी.एस. रीडिंग लिम्बानुसार है।

No.	Block Name	KH. NO.	Latitude	Longitude
1	SALAIYA	20	23°48'43.254" N	79°55'10.650" E
2	SALAIYA	20	23°48'43.500" N	79°55'25.830" E
3	SALAIYA	20	23°48'38.363" N	79°55'25.006" E
4	SALAIYA	20	23°48'36.228" N	79°55'28.488" E
5	SALAIYA	20	23°48'32.879" N	79°55'30.942" E
6	SALAIYA	5	23°48'29.923" N	79°55'31.429" E
7	SALAIYA	5	23°48'27.126" N	79°55'31.470" E
8	SALAIYA	5	23°48'26.199" N	79°55'31.717" E
9	SALAIYA	5	23°48'25.110" N	79°55'32.847" E
10	SALAIYA	5	23°48'23.939" N	79°55'34.772" E
11	SALAIYA	5	23°48'22.866" N	79°55'36.132" E
12	SALAIYA	5	23°48'19.728" N	79°55'37.580" E
13	SALAIYA	5	23°48'18.071" N	79°55'38.143" E
14	SALAIYA	5	23°48'16.912" N	79°55'38.983" E
15	SALAIYA	5	23°48'14.869" N	79°55'30.656" E
16	SALAIYA	5	23°48'14.915" N	79°55'29.441" E
17	SALAIYA	5	23°48'16.175" N	79°55'28.617" E
18	SALAIYA	5	23°48'17.449" N	79°55'27.848" E
19	SALAIYA	5	23°48'19.789" N	79°55'25.290" E
20	SALAIYA	5	23°48'20.741" N	79°55'24.213" E



21	SALAIYA	5	23°48' 21.218"N	79°55' 22.891"E
22	SALAIYA	5	23°48' 20.961"N	79°55' 21.493"E
23	SALAIYA	5	23°48' 19.771"N	79°55' 19.006"E
24	SALAIYA	5	23°48' 21.499"N	79°55' 16.214"E
25	SALAIYA	5	23°48' 22.103"N	79°55' 15.942"E
26	SALAIYA	5	23°48' 23.374"N	79°55' 15.606"E
27	SALAIYA	5	23°48' 24.225"N	79°55' 14.539"E
28	SALAIYA	20	23°48' 25.000"N	79°55' 13.002"E
29	SALAIYA	20	23°48' 26.236"N	79°55' 12.211"E
30	SALAIYA	20	23°48' 27.718"N	79°55' 12.101"E
31	SALAIYA	20	23°48' 28.865"N	79°55' 12.411"E
32	SALAIYA	20	23°48' 29.679"N	79°55' 12.886"E
33	SALAIYA	20	23°48' 31.020"N	79°55' 12.533"E
34	SALAIYA	20	23°48' 32.798"N	79°55' 12.816"E
35	SALAIYA	20	23°48' 33.403"N	79°55' 12.717"E
36	SALAIYA	20	23°48' 33.910"N	79°55' 10.689"E
37	SALAIYA	20	23°48' 36.387"N	79°55' 10.455"E
38	SALAIYA	20	23°48' 37.090"N	79°55' 10.726"E
39	SALAIYA	20	23°48' 38.044"N	79°55' 11.363"E
40	SALAIYA	20	23°48' 39.629"N	79°55' 11.754"E

N Singh  
S.D.O  
WRD  
mandla

Panchayat 27016.  
08/04/22 आ.प्र.म.  
(रा.प्र.स. कोष)  
A. Singh  
08/04/22  
ज.प्र.स.  
(रा.प्र.स. वि.स. कोष)

Uttam  
08/04/22  
उत्तम मिश्रा (प्रशिक्षु वनसंरक्षण)  
र.प्र.स. इमलीमंड  
विमल कुमार  
वर.प्र.स.  
दुबली को.प्र.स.



बिन्दु क्रं.-B-1

व्यपवर्तित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप संबंधी

वचन - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित जल संसाधन संभाग मण्डला द्वारा गौर जलाशय के निर्माण हेतु डूब क्षेत्र की व्यपवर्तित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जावेगा।



(विनय कुमार कुशवाह)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग

मण्डला (म.प्र.)

बिन्दु क्रं.- (बी)- 3

भविष्य में मांग की गई देय राशि

वचन - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित जल संसाधन संभाग मण्डला द्वारा गौर जलाशय के निर्माण के लिए डूब क्षेत्र हेतु की वन विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त देय राशि की मांग की जाती है तो उसे जल संसाधन विभाग मानने को वचनबद्ध है।



(धर्मराज कुमार कुशवाह)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग  
मण्डला (म.प्र.)



परियोजना का ले-आउट प्लान में केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना  
बदलाव न करने संबंधी

वचन - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित जल संसाधन संभाग मण्डला द्वारा गौर जलाशय के डूब क्षेत्र में परियोजना के ले-आउट प्लान में केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना बदलाव नहीं किया जावेगा।



(अनंजय कुमार कुशवाह)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग  
मण्डला (म.प्र.)

बिन्दु क्रं.-B-7

व्यपवर्तित वन क्षेत्र में कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं करने बाबत

वचन - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित जल संसाधन संभाग मण्डला द्वारा गौर जलाशय के निर्माण हेतु व्यपवर्तित वन क्षेत्र में कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जावेगा।



(धर्मजय कुमार कुशराम)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग

मण्डला (म.प्र.)



संस्थान के द्वारा परियोजना स्थल पर कार्यरत श्रमिकों की वैकल्पिक ईंधन  
(रसोइ गैस) के भुगतान संबंधी

वचन - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित जल संसाधन संभाग मण्डला द्वारा गौर जलाशय के निर्माण कार्य में आवेदक संस्थान के द्वारा परियोजना स्थल पर कार्यरत श्रमिकों की वैकल्पिक ईंधन (रसोइ गैस) का भुगतान किया जाता है।



(धर्मजय कुमार कुशवाह)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग  
मण्डला (म.प्र.)

योजना में विनिर्दिष्ट कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु वन  
भूमि का उपयोग नहीं करने संबंधी

वचन - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित जल संसाधन संभाग मण्डला द्वारा गौर जलाशय में विनिर्दिष्ट कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी वन भूमि का उपयोग नहीं किया जावेगा।



(धनजय कुमार कुशराम)

कार्यपालन यंत्री


जल संसाधन संभाग

मण्डला (म.प्र.)

शर्तों का वास्तविक पालन प्रतिवेदन भारत सरकार एवं राज्य सरकार को  
नियमित रूप से यथा समय प्रस्तुत करने संबंधी

वचन - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित जल संसाधन संभाग मण्डला द्वारा गौर जलाशय के डूब क्षेत्र में शर्तों का वास्तविक पालन प्रतिवेदन भारत सरकार एवं राज्य सरकार को (प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर) नियमित रूप से यथा समय प्रस्तुत किया जावेगा।



(धर्मजय कुमार कुशवाह)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग  
मण्डला (म.प्र.)



बिन्दु क्र. B-12

व्यपवर्तित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य संस्था/विभाग या व्यक्ति को केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना स्थानान्तरित नहीं करने संबंधी

वचन - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित जल संसाधन संभाग मण्डला द्वारा गौर जलाशय के डूब क्षेत्र में व्यपवर्तित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य संस्था/विभाग या व्यक्ति को केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना स्थानान्तरित नहीं की जावेगी।



(श्री. जय कुमार शर्मा)

कार्यपालन यंत्री


जल संसाधन संभाग

मण्डला (म.प्र.)

परियोजना मे कोई अन्य शर्तों जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित  
किये जाने के संबंध में

वचन - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन संभाग मण्डला के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित गौर जलाशय के वन भूमि प्रकरण में परियोजना मे अन्य शर्तों जो केन्द्र सरकार /राज्य सरकार द्वारा वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के संरक्षण एवं विकास हेतु समय-समय पर अधिरोपित की जाती है तो उसका पालन किया जावेगा।

  
(धनंजय कुमार कुशराम)  
कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग  
मण्डला (म.प्र.)